न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 09/2022

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. कानाराम पुत्र शिवराम	1.	गणपतलाल पुत्र लिछमण
2 रतनलाल पुत्र शिवराम	2	श्यामलाल पुत्र लिछमण
3 कौशल्या देवी पत्नि मिश्रीलाल	3	प्रकाश पुत्र लिछमण
4 भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल	4	कमला देवी पुत्री लिछमण पत्नि किशनलाल
5 सुन्दरी देवी पत्नि चुन्नीलाल		इन्द्रा देवी पुत्री लिछमण पत्नि बलदेव राम
6 जगदीश पुत्र चुन्नीलाल	5	तमाम जातियान माली, नि0 सोजतसिटी,
7 मनोहरलाल पुत्र चुन्नीलाल		तह0 सोजत, जिला पाली।
8 समु पुत्री चुन्नीलाल पत्नि ताराचंद		तहसीलदार, सोजत
तमाम जातियान माली, निवासीगण	6	
सोजतसिटी, तहसील सोजत,		
जिला पाली (राज0)		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री रमेश टांक अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक — 18.04.2022

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 4015, 4296 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.23 है0 कृषि भूमि लिछमण पुत्र कुनजी जाति माली साकिन देह की खातेदारी की रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज है। खातेदार लिछमण पुत्र कुनजी जाति माली नि0 सोजतसिटी ने उक्त कृषि भूमि में से खसरा संख्या 4015 रकबा 0.06 है0 के खातेदारी हक का विक्रय दिनांक 22.04.1992 को मिश्रीलाल, कानाराम, चुन्नीलाल व रतनलाल पुत्र शिवराम जातिगण माली, नि0 सोजतसिटी, तह0 सोजत को बएवज रूपया 7500/—रू0 में विक्रय कर दिया एवं उसी समय कब्जा काश्त सुपुर्द कर दिया। विक्रयकर्ता लिछमण पुत्र कुनजी जाति माली का देहान्त दिनांक 29.11.2013 को हो चुका है जिसके उतराधिकारीगण गणपतलाल, श्यामलाल, प्रकाश पि0 लिछमण, कमला, इन्द्रा पुत्रियां लिछमण, क्रयकर्तागण में से मिश्रीलाल एवं चुन्नीलाल का देहान्त हो चुका है। मिश्रीलाल का देहान्त 31.08.2016 एवं चुन्नीलाल का देहान्त दिनांक 30.05.2009 को हुआ है। क्रयकर्ता मिश्रीलाल के उतराधिकारीगण उनकी विधवा वादी संख्या 03 कौशल्या एवं पुत्र वादी संख्या 4 भंवरलाल है। क्रयकर्ता चुन्नीलाल के उतराधिकारीगण उनकी पत्नि वादी संख्या 5 सुन्दरी देवी पुत्र वादी संख्या 6 जगदीश एवं वादी सांख्या 07 मनोहरलाल और वादी संख्या 08 समु पुत्री है। वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक क्रयकर्ता मिश्रीलाल, क्रयकर्ता वादी संख्या 1 कानाराम, क्रयकर्ता चुन्नीलाल, क्रयकर्ता वादी संख्या 02 रतनलाल में खातेदार लिछमण पुत्र कुनजी से क्रय करने के पश्चात से अन्तर्निहित हो चुके है एवं

उप खण्ड अधिकारी सोजत

वकालतनामा व ईकबालिया जबाब दावा पेश कर अंकित किया है कि वादीगण के उक्त वर्णित भूमि जो प्रतिवादीगण के पिता के नाम रेवेन्यु रेकर्ड में अवश्य दर्ज है। वादीगण के वाद पत्र का पद संख्या 02 सही होना अंकित किया है। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा दिनांक 22.04.1992 को सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 4015 रकबा 0.0600 है0 की कृषि भूमि का वादी संख्या 1 व 2 एवं वादी संख्या एवं वादी संख्या 03 से 08 के पति/पिता के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया था तथा मौके पर भी उक्त कृषि भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था वादीगण दिनांक 22.04.1992 से उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 4015 रकबा 0.600 है0 पर कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता लिछमण पुत्र कुनजी का देहान्त दिनांक 29.11.2013 को हो चुका है तथा लिछमण पुत्र कुनजी के प्रथम श्रेणी उतराधिकारीगण तथा विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ही है। इनके अलावा अन्य कोई वैध विधिक वारिसान नही है। मिश्रीलाल का देहान्त वर्ष 2016 में हो चुका है, उनके विधिक उतराधिकारी वारिसान में वादी संख्या 3 कौशल्या तथा वादी संख्या 4 भंवरलाल है। चुन्नीलाल का देहान्त वर्ष 2009 में हो चुका है, उनके विधिक वारिसान में वादी संख्या 5 से वादी संख्या 8 हैं। दिनांक 22.04.1992 के पश्चात् वादीगण ही खसरा संख्या 4015 रकबा 0.0600 है0 पर काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 4015 का नामान्तरकरण अपने नाम से स्वीकृत करवाया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता का नाम खसरा संख्या 4015 में दर्ज होने से प्रतिवादीगण को असमंज और भारी असुविधा होती है। वादस्थ कृषि भूमि पर वादीगण जरिए रजिस्टर्ड बैयान के काबिज काश्त चले आ रहे है, जिससे उक्त कृषि भूमि में वादीगण को रेकर्डेड खातेदार राजस्व रेकर्ड में जरिए नामान्तरकरण दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादीगण माफिक दावा ईस्तदुआ प्राप्त करने के अधिकारी है एवं वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 4015 में प्रतिवादीगण के पिता का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रति0 संख्या 1 से 5 ने जबाब दावा मय शपथपत्र प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार फरमाये जाने एवं चूँकि वादस्थ कृषि भूमि सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 4015 रकबा 0.0600 है0 में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता का नाम रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.04.1992 के आधार पर हो जाने से हटाये जाने तथा वादीगण को उकत भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने की ईश्तदुआ की है। इस प्रकार ईकबालिया जबाब दावा पेश कर माफिक दावा वादीगण की ईश्तदुआ अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

न्यायालय हाजा द्वारा न्याय निर्णय हेतु पत्रांक/कोर्ट/2022/359 दिनांक13.04.2022 द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति वादस्थ भूमि चाही गई। पत्रांक/राजस्व/2022/1018 दिनांक 10.04.2022 द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार, सोजत ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि कानाराम वगेरह बनाम गणपतलाल वगेरह में विवादित आरजी सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 4015, 4296 रकबा 0.2300 है0 किस्म मेहन्दी चा0प्र0 की भूमि व रेकर्ड की जांच करने पर पाया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नंबर 4015 रकबा 0.06 किस्म मेहन्दी लिछमण पुत्र कुनजी कौम माली

उप खण्ड अधिकारी सोजत

कब्जा काश्त वादीगण का लगातार चला आ रहा है परन्तु क्रय करने के पश्चात् अब वादी संख्या 01 कानाराम वादी संख्या 02 रतनलाल, वादी संख्या 03 के पति एवं वादी संख्या 04 के पिता मिश्रीलाल, वादी संख्या 05 के पति एवं वादी संख्या 6, 7, 8 के पिता चुन्नीलाल के नाम नामान्तरकरण भरे जाकर स्वीकृत नही हुआ है। इस दौरान वादी संख्या 03 के पति, वादी संख्या 04 के पिता मिश्रीलाल की मृत्यु हो जाने से मिश्रीलाल के वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक वादी सख्या 03 कौशल्या व वादी संख्या 04 भंवरलाल में निहित हो चुके है। कयकर्ता चुन्नीलाल की मृत्यु हो जाने से उसके खातेदारी हक वादी संख्या 05 सुन्दरी देवी, वादी संख्या 06 जगदीश, वादी संख्या 07 मनोहरलाल, वादी सख्या 8 समु में अन्तर्निहित हो चुके है इस स्थिति में वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी संख्या 01 कानाराम का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 रतनलाल का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 03 कौशल्या देवी व वादी संख्या 4 भंवरलाल का 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 5 से 8 का 1/4 हिस्सा खातेदारी हक का है जो घोषित किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी रेवेन्यू रेकर्ड में लिछमण पुत्र कुनजी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार के रूप में दर्ज रह जाने से लिछमण पुत्र कुनजी उतराधिकारीगण प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को धमकिया देते रहते है कि या तो तुम वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक घोषणा अपने नाम से करवालो अन्यथा हम वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा कर लेंगें व तुम्हे काश्त नही करने देंगे। दिनांक 10.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 गणपतलाल, वादीगण संख्या 1 व 2 को मिला तथा ऐलानिया धमकी दी कि वे लोग वादग्रस्त कृषि भूमि पर तुरन्त ही कब्जा करके तुम लोगो को बेदखल कर देंगे। उसके पश्चात भी नही मानने से यह स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। यदि वादीगण को प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में काश्त करने में दखलअंदाजी करेगें या वादीगण को बेदखल करने में सफल हो जायेंगे एवं वादग्रस्त कृषि भूमि का अपने नाम नामान्तरणकरण दर्ज करवा कर विक्रय करने तथा कयकर्ता के नाम दर्ज नामान्तरकरण दर्ज करवाने में सफल हो जाते है तो वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने खातेदारी हक से महरूम हो जायेंगे जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में काश्त करने में न तो स्वयं दखलआंजी कारित करे, न ही किसी अन्य से करावे। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा की सादिर वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 5 से 8 का 1/4 हिस्सा खातेदारी हक का है तदनुसार रेवेन्यु रेकर्ड में संशोधन कर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 4015 की अलग जमाबंदी बनाकर वादीगण अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम की खातेदारी घोषित करवाने व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाये जाने प्रतिवादीगण उक्त वादस्थ कृषि जोत की भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करे, न ही वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने

उप खण्ड अधिकारी सोजत

सा0 देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मौके पर खसरा नंबर 4015 में कानाराम पुत्र शिवराम वगेरह काश्त कर रहे है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि चूँकि विवादित आराजी की कृषि भूमि माफिक दस्तावेजात बेचान रजिस्ट्री दिनांक 22.04.1992 द्वारा प्रतिवादीगण के पिता लिछमण ने सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 4015 रकबा 0.0600 है0 की कृषि भूमि का वादीगण संख्या 1 व 2 एवं वादीगण संख्या 03 से 08 के पति/पिता के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया था तथा मौके पर भी उक्त कृषि भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था एवं वादीगण दिनांक 22.04.1992 से उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। जो तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड एवं मौका रिपोर्ट से भी प्रमाणित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 4015 रकबा 0.600 है0 पर कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता लिछमण पुत्र कुनजी का देहान्त दिनांक 29.11.2013 को हो चुका है तथा लिछमण पुत्र कुनजी के प्रथम श्रेणी उतराधिकारीगण तथा विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ही है। इनके अलावा अन्य कोई वैध विधिक वारिसान नही है। मिश्रीलाल का देहान्त वर्ष 2016 में हो चुका है, उनके विधिक उतराधिकारी वारिसान में वादी संख्या 3 कौशल्या तथा वादी संख्या 4 भंवरलाल है। चुन्नीलाल का देहान्त वर्ष 2009 में हो चुका है, उनके विधिक वारिसान में वादी संख्या 5 से 8 हैं। दिनांक 22.04.1992 के पश्चात् वादीगण ही खसरा संख्या 4015 रकबा 0.0600 है0 पर काबिज काश्त है। वाद पत्र में संलग्न दस्तावेजात बेचान रजिस्ट्री दिनांक 22.04.1992 की प्रति, वर्तमान जमाबंदी, आधारकार्ड वादीगण के, मिश्रीलाल व चुन्नीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात के आधार पर वादी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के विधिक उतराधिकारी है। चूँकि वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों अनुसार वाद–पत्र को माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईख्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दावा वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब दावा अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 1 से 05, पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 22.04.1992 तथा रेकर्ड एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः विवादग्रस्त कृषि भूमि की उक्त आराजी प्रस्तुत ई0ज0 दा0 पुराने दस्तावेजात, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 22.04.1992 की प्रति, वर्तमान जमाबंदी, आधारकार्ड वादीगण के, मिश्रीलाल व चुन्नीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात के आधार पर वादीगण संख्या 1 से 8 की भूमि तथा मौके पर कब्जा काश्त होना बखूबी साबित है। लिहाजा अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज एवं दावा डिक्री किया जाना वादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 4015 कुल रकबा 0.0600 है0 किस्म मेहन्दी की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता/पति लिछमण पुत्र कुनजी का नाम हटाये जाने के आदेश दिया जाना तथा उनके स्थान पर वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 5

उप खण्ड अधिकारी सोजत

से 8 का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

-::आदेश::-

अतः माफिक दावा एवं पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 22.04.1992 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 4015, कुल रकबा 0.0600 है0 किस्म मेहन्दी की भूमि में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 पिता/पति लिछमण पुत्र कुनजी कौम माली सा0 देह खातेदार का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार लिछमण पुत्र कुनजी के स्थान पर वादी संख्या 01 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 को 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 5 से 8 को 1/4 हिस्सा (ब0हि0ब0) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

निर्णय आज दिनांक 08/04/2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. कानाराम पुत्र शिवराम
2. रतनलाल पुत्र शिवराम
3. कौशल्या देवी पत्नि मिश्रीलाल
4. भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल
5. सुन्दरी देवी पत्नि चुन्नीलाल
6. जगदीश पुत्र चुन्नीलाल
7. मनोहरलाल पुत्र चुन्नीलाल
8. समु पुत्री चुन्नीलाल पत्नि ताराचंद
   तमाम जातियान माली, निवासीगण
   सोजतसिटी, तहसील सोजत,
   जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गणपतलाल पुत्र लिछमण
2. श्यामलाल पुत्र लिछमण
3. प्रकाश पुत्र लिछमण
4. कमला देवी पुत्री लिछमण पत्नि किशनलाल
   इन्द्रा देवी पुत्री लिछमण पत्नि बलदेव राम
5. तमाम जातियान माली, नि0 सोजतसिटी,
   तह0 सोजत, जिला पाली।
6. तहसीलदार, सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 09/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री रमेश टांक अधिवक्ता वादीगण तथा श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक दावा एवं पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 22.04.1992 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 4015, कुल रकबा 0.0600 है0 किस्म मेहन्दी की भूमि में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 पिता/पति लिछमण पुत्र कुनजी कौम माली सा0 देह खातेदार का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार लिछमण पुत्र कुनजी के स्थान पर वादी संख्या 01 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 को 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 5 से 8 को 1/4 हिस्सा (ब0हि0ब0) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.04.2022 को जारी किया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			